

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
वेदराज पुत्र छगनाराम जाति मेगवाल, निवासी थुम्बली तहसील शिव, जिला बाड़मेर		अशोककुमार पुत्र पताराम जाति मेगवाल, निवासी सवाईसिंह की वस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (18)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 188, 53)

मुकदमा नम्बर 152/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.2023	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री जेठाराम कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/राजस्व वाद/अपील धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 20.12.23 को पेश हो।</p>	
20.12.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्ण आदेशिकानुसार दिनांक 28.02.24 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>
28/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्ण आदेशिकानुसार दिनांक 29/4/24 को पेश हो।</p>	
29.4.24	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्ण आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 12.7.24 को पेश हो।</p>	



U.T.
शिव (बाड़मेर)
(70)
शिव (बाड़मेर)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अ. हुक्म
में जाय

28.01.26

पत्रावली पेश। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली में उपाधी पेशी हेतु वादी व
वकील को आग्रहण समन में रुक-रुक
कर आवाजे दी जाने के बावजूद कोई
उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली को लेकर
गंभीर नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने
पर उक्त पत्रावली अदालत हाजमी व
अदालत पेशी में खारिज की जाती है।
पत्रावली नष्ट से कम होकर
दाखिल दफ्तर है।

सहायक जज
शिव (बाड़मेर)